न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

परिवाद सं० 171/2018

UPRN180001432018

विनोद कुमार	बनाम	भगवत शरण

धारा 138 एन०आई०एक्ट

थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर

दिनांक – 28/04/2026

आदेश

प्रार्थना पत्र आज पेश हुआ। अभियुक्त भगवतशरण पुत्र देवीसहाय न्यायालय उपस्थित आया।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त विगत नियत तिथि को न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते आरोप लम्बित है। अभियुक्त दिनांक 03/04/2026 को न्यायालय में अनुपस्थित हैं, जिस कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी किया गया था। पर्याप्त आधार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियुक्त द्वारा बीस हजार रुपये का निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र का आदेश निरस्त किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.04.28 16:57:39 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Ghatampur Kanpur Dehat